भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1925

उत्तर देने की तारीख: 19/12/2022

केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का मूल्यांकन

†1925. श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन और संपरीक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन और संपरीक्षा के मापदण्डों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियों की संख्या कितनी है और ऐसी रिक्तियों के लंबित रहने की राज्य-वार औसत अवधि क्या है; और

(ङ) ऐसी रिक्तियों के लिए समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) में शिक्षा की गुणवत्ता योग्य शिक्षकों की भर्ती, प्रधानाध्यापकों द्वारा नियमित निरीक्षण और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को अद्यतन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। सीबीएसई द्वारा आयोजित X और XII बोर्ड परीक्षाओं में केवि के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के परिणामों की तुलना में बहुत बेहतर है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा केविसं के कार्यों की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है। संगठन के प्रदर्शन का समय-समय पर शासी बोर्ड और केविसं की आम सभा द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रदर्शन की निगरानी के लिए मुख्य परिणाम क्षेत्रों के साथ वार्षिक कार्य योजना और मध्यम अवधि की कार्यनीतिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं। केविसं के प्रदर्शन को प्रतिवर्ष इसकी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक संपरीक्षित लेखों के माध्यम से संसद को भी सूचित किया जाता है।

(घ) और (ड.) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने सूचित किया है कि देशभर में केविसं में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के 14461 रिक्तियाँ हैं। केविसं ने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। केविसं द्वारा शिक्षकों को अस्थायी अवधि के लिए अनुबंध आधार पर भी नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया बाधित न हो। देशभर के केवि में रिक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

"केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का मूल्यांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री श्रीधर कोटागिरी और श्री मद्दीला गुरुमूर्ति द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1925 के भाग (घ) और (ङ.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

01.11.2022 के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	रिक्तियों की सं.
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33
2	आंध्र प्रदेश	698
3	अरुणाचल प्रदेश	176
4	असम	419
5	बिहार	565
6	चंडीगढ़	41
7	छत्तीसगढ	428
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	23
9	दिल्ली	395
10	गोवा	98
11	गुजरात	377
12	हरियाणा	116
13	हिमाचल प्रदेश	98
14	जम्मू और कश्मीर	410
15	लद्दाख	13
16	झारखंड	425
17	कर्नाटक	1053
18	केरल	802
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	1277
21	महाराष्ट्र	957
22	मणिपुर	62
23	मेघालय	49
24	मिजोरम	41
25	नागालैंड	45
26	ओडिशा	963
27	पुदुचेरी	117
28	पंजाब	336
29	राजस्थान	250
30	सिक्किम	12
31	तमिलनाडु	1220
32	तेलंगाना	665
33	त्रिपुरा	92
34	उत्तर प्रदेश	941
35	उत्तराखंड	208
36	पश्चिम बंगाल	1043
कुल		**14461**

*****